

**National Institute of Public Cooperation and Child Development**  
**5, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi 110016**

NI/XXXIX/1/Misc./2022-23/Pers.


Dated: 13.12.2022

**Office Order No.: 287/2022**

**Sub: Advisory for Internal Grievance Committee for Advanced Diploma in Child Guidance and Counseling 2022-23 Batch XVIII.**

This has reference to the subject cited above, the Procedures for disposal of Complaint/ Grievance for ADCGC is as under:

- A. Filing Complaints: Students can approach to any Member of the Committee on Mobile Phone or by E-mail or by dropping a written grievance in the Grievance Box placed in the Room No. 107A (Common Room for Students of ADCGC) of the Institute.
- B. Conducing of proceedings: The Committee shall follow the principle of natural justice.
- C. Time frame for disposal of the complaint/grievance: The grievance shall be heard within 15 days of its receipt of a complaint/grievance at the earliest, in case it is serious in nature. It shall be disposed off within two weeks of hearing.
- D. The meeting of the Committee shall be held in every three months.

  
(Dr. S. Barik)  
Joint Director (CS)

**Copy to:-**

1. Ps to Director
2. All Joint Directors
3. DD (Admin.) I/c
4. ACO/ APO (Acctts.)
5. AAO (P)/ (G)
6. Notice Board of the Class Room
7. Office Order File
8. All concerned members
9. Website of the Institute
10. Ms. Sunita Shiva, Joint Registrar, Affiliation Branch, GGSIPU

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान  
5 सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली-110 016

रा.सं/XXXIX/1/विविध/2022-23/कार्मिक


दिनांक: 13.12.2022

कार्यालय आदेश संख्या.: 287/2022

**विषय: बाल मार्गदर्शन एवं परामर्श में उन्नत डिप्लोमा हेतु आंतरिक शिकायत समिति के लिए  
सलाह 2022-23 बैच XVIII**

उपरोक्त उल्लेखित विषय के संदर्भित, बाल मार्गदर्शन एवं परामर्श में उन्नत डिप्लोमा (एडीसीजीसी) हेतु शिकायत/शिकायत के निपटान की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

- क. शिकायत/शिकायतें करना: छात्र मोबाइल फोन से समिति के किसी भी सदस्य को संपर्क कर सकते हैं अथवा ई-मेल द्वारा अथवा लिखित शिकायत लिखकर संस्थान के कमरा संख्या : 107 ए में रखे गए शिकायत बॉक्स में अपनी (बाल मार्गदर्शन एवं परामर्श में उन्नत डिप्लोमा (एडीसीजीसी) के छात्रों के लिए संयुक्त कक्ष) शिकायत डाल सकते हैं।
- ख. कार्यवाहियों का संचालन: समिति नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करेगी।
- ग. शिकायत/परिवेदना के निपटान हेतु समय सीमा: यदि शिकायत गंभीर प्रकृति की है तो परिवाद/शिकायत प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर यथाशीघ्र सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के दो सप्ताह के भीतर ही इसे निपटान कर दिया जाएगा।
- घ. समिति की बैठक हर तीन महीने में आयोजित की जाएगी।

  
(डॉ. एस. बारिक)

संयुक्त निदेशक (सा.से.)

**प्रतिलिपि :**

1. निदेशक के निजी सहायक
2. सभी संयुक्त निर्देशक
3. उप निदेशक प्रशासन/प्र.
4. एसीओ/एपीओ (लेखा)
5. स.प्र.अ.(का.)/(सा.)
6. अध्ययन कक्ष का नोटिस बोर्ड
7. कार्यालय आदेश फाइल
8. सभी संबंधित सदस्य
9. संस्थान की वेबसाइट
10. सुश्री सुनीता शिव, संयुक्त रजिस्ट्रार, संबद्धता शाखा, जीजीएसआईपीयू